(2)

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 1995
फाल्गुन 23, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 619/सत्रह-वि-1-1 (क) 14-1995
लखनऊ, 14 मार्च, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 14 मार्च, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1995

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 1995)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 198 के अधीन उ0 प्र0 विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 10 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ऐक्ट संख्या 8 सन् 1851 में नई धारा 1-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"1-ख—इस ऐक्ट में,—

परिभाषा 'प्राधिकृत व्यक्ति' का तात्पर्य, धारा 2-ख के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से है।"

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में, शब्द "बनाया गया या मरम्मत किया गया" के स्थान पर शब्द "बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया" रख दिये जायेंगे।

धारा 2-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2-क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे;

(ख) शब्द "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है (जिसे आगे निगम कहा गया है) के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्पश्चात् उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति के व्यय पर बनाया गया अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय", रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "बनाई गई या मरम्मत की गई" के स्थान पर शब्द "बनाई गई अनुरक्षित या मरम्मत की गई" रख दिए जायेंगे।

धारा 2-ख का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 2-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"2-ख—धारा 2 और 2-क के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किन्हीं नियमों या राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, और इस निमित्त किए गए किसी करार के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी किसी सड़क या पुल पर जिसे ऐसे व्यक्ति के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो या जिसे एतद्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय या जिसका अनुरक्षण और मरम्मत राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को अन्तरित किया गया हो या एतद्पश्चात् किया जाय उद्ग्रहीत पथकर का प्रबन्ध करने और उसे वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।"

पथकर आदि का प्रबन्ध और उसे वसूल करने की किसी प्राधिकृत व्यक्ति को शक्ति

धारा 2-ग का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 2-ग में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे

(ख) उपधारा (1) में जहां कहीं भी शब्द "राज्य सरकार या निगम" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे,

(ग) उपधारा (2) में शब्द "निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर)" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति की दशा में यदि वह व्यष्टि हो, तो प्रतिकृत व्यक्ति स्वयं, और किसी अन्य दशा में उसके कार्यकलापों का प्रभारी व्यक्ति (चाहे जिस नाम से पुकारा जाय)" रख दिये जायेंगे।

धारा 2-घ का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 2-घ में, "शब्द निगम" के स्थान पर "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिये जायेंगे।

धारा 2-छ का बढ़ाया जाना

8--मूल अधिनियम की धारा 2-च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"2-छ--तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थानीय प्राधिकारी, दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक से, ऐसे पथ कर का प्रबन्ध उसे वसूल नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति इस ऐक्ट के अधीन पथकर का प्रबन्ध या उसे वसूल कर सकता है।"

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पथकर के प्रबन्ध या वसूल करने पर रोक

धारा 8 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वसूल किए गए पथकर को लोक राजस्व नहीं समझा जायेगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1995

निरसन और व्यावृत्ति

10--(1) दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 619 (2)/XVII-V-1-1(KA)14-1995
Dated, Lucknow, March 14, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Tolls (Uttar Pradesh Amendment) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Saukhya 8 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 1995.

THE INDIAN TOLLS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. Act No. 8 of 1995)

(As passed by both Houses of the Uttar Pradesh Legislature under Article 198 of the Constitution of India)

AN
ACT

further to amend the Indian Tolls Act, 1851 in its application to Uttar Pradesh

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Tolls (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1995.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 10, 1995

Insertion of new section 1-B in Act no. VIII of 1851

2. *After* section 1-A of the Indian Tolls Act, 1851, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"1-B. In this Act—

Definition "Authorised person" means any person authorised under section 2-B".

Amendment of section 2

3. In section 2 of the principal Act, *for* the words "made or repaired" the words "made, maintained or repaired" shall be *substituted*.

Amendment of section 2-A.

4. In section 2-A of the principal Act—

(a) in the marginal heading, *for* the words "the Corporation" the words "an Authorised person" shall be *substituted,*

(b) *for* the words "which has been or shall hereafter be made, maintained or repaired at the expense of the Uttar Pradesh State Bridge Corporation Limited, a Government Company registered under the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the Corporation)", the words "which has been or shall hereafter be made, maintained or repaired at the expense of an Authorised Person" shall be *substituted,*

(c) *for* the words "made or repaired" the words "made, maintained or repaired" shall be *substituted.*

Substitution of section 2-B

5. *For* section 2-B of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Power of an authorised person to manage and collect tolls etc.

"2-B—Without prejudice to the generality of the provisions of sections 2 and 2-A, and subject to any rules made under this Act, or to any general or special orders of the State Government, and in accordance with any agreement that may be made in this behalf, the State Government may authorise any person to manage and collect all tolls levied upon any road or bridge which has been or shall hereafter be made, maintained or repaired at the expense of such person, or the maintenance and repairs whereof has been or shall be transferred to such person by the State Government."

Amendment of section 2-C

6. In section 2-C of the principal Act—

(a) in the marginal heading *for* the words "the Corporation" the words, "the Authorised Person" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (1), *for* the words "the State Government or the Corporation" wherever they occur, the words "the State Government or the Authorised Person" shall be *substituted;*

(c) in sub-section (2), *for* the words "and in the case of the Corporation, the Managing Director thereof" the words "and in case of an Authorised Person, if he is an individual, the Authorised Person himself, any in any other case, the person incharge of the affairs thereof (by whatever name called)" shall be *substituted.*

Amendment of section 2-D

7. In section 2-D of the principal Act, *for* the words "the Corporation" the words "the Authorised Person" shall be *substituted.*

Insertion of new section 2-G

8. *After* section 2-F of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely,—

Bar to manage or collect tolls by local authority

"2-G. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no local authority shall, with effect from the date of commencement of the Indian Tolls (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1995 manage or collect tolls in respect of which the State Government or an Authorised person may manage or collect the tolls under this Act."

Amendment of section 8

9. In section 8 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted,* namely :—

"Provided that the tolls collected by an Authorised person shall not be deemed public revenue."

Repeal and savings

10. (1) The Indian Tolls (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 314 सा० विधा०- (4101)--1995-850 (मेक०)।